

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

(GOVT. REGD. 483/2017, INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVT. OF INDIA)
REGD. UNITED NATION (UNDESA), NITI AAYOG (GOVT. OF INDIA)

A VOLUNTARY ORGANIZATION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Ref. No. NHRCCB/NP/b / RMC/044

Date 1.7 /(1) /21

Office Order /कार्यालय आदेश

समस्त पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि 29 जून 2021 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एन एच आर सी सी बी के जनरल युवा एवं महिला विंग के प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी के अंतर्गत जनरल मेम्बरिशप ड्राइव एवं वालंटियर नियुक्ति पर सहमित प्रदान हुई थी! जिस पर दिनाँक 19.07.2021 से प्रभावी मानी जायेगी! इसमे निम्नलिखित बिंदुओ पर ध्यान रखते हुए कार्य की जाएगी:

जनरल मेंबर / General Member

जनरल मेंबर की नियुक्ति प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार होगा !

जनरल मेंबर की नियुक्ति पत्र एवं सर्टिफिकेट प्रदेश अध्यक्ष जारी करेंगे! अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो उस परिस्थिति में प्रदेश के अन्य पदाधिकारी जारी करेंगे!

जरनल मेंबर को कोई आईडी कार्ड नहीं दी जाएगी! सिर्फ नियुक्ति पत्र एवं सर्टिफिकेट दी जाएगी! प्रदेश कार्यकारिणी ज्यादा से ज्यादा एक बैच गले में लटकाने वाली दे सकती है!

जनरल मेंबर की सदस्यता फी 501 रुपये से ज्यादा नहीं होगी!

एक माह के पूरे प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा 31 सदस्य की नियुक्ति अलग अलग विंग (जनरल युवा एवं महिला)

प्रदेश कार्यकारिणी कर सकती है !

हर महीने के अंतिम तारीख की तक हुई नियुक्ति की लिस्ट राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्यालय को जमा करना होगा जिस हेतु फॉरमैट यहां से दी जाएगी !

Web: www.nhrccb.org • Email - nhrccb@gmail.com

जनरल विंग की सदस्यता फॉर्म, नियुक्ति पत्र एवं सर्टिफिकेट की फॉरमेट एवं अन्य डिटेल राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्यालय द्वारा दी जाएगी !कोई भी दूसरे फॉरमेट का उपयोग नही किया जाएगा !

कुल जनरल सदस्यता की 25 प्रतिशत फंड राष्ट्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी ! शेष राशि 75 प्रतिशत प्रदेश कार्यकारिणी अपने प्रदेश में संस्था की गीतिविधियों में खर्च कर सकेंगे ! फंड का संचालन प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में प्रदेश कोषाध्यक्ष करेंगे !

वालंटियर / Volunteer

Volunteer की नियुक्ति जिला कार्यकारिणी के द्वारा जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार होगा!

वालंटियर की सर्टिफिकेट जिला अध्यक्ष जारी करेंगे ! अगर जिला अध्यक्ष नहीं है तो उस परिस्थिति में जिला के अन्य पदाधिकारी जारी करेंगे !

वालंटियर को कोई नियुक्ति पत्र एवं आईडी कार्ड नहीं दी जाएगी! सिर्फ सर्टिफिकेट दी जाएगी! जिला कार्यकारिणी ज्यादा से ज्यादा एक बैच गले मे लटकाने वाली दे सकती है!

जनरल मेंबर की सदस्यता फी 301 रुपये से ज्यादा नहीं होगी!

एक माह के पूरे प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा 21 सदस्य की नियुक्ति जिला कार्यकारिणी अलग अलग विंग (जनरल युवा एवं महिला) में कर सकती है !

हर महीने के अंतिम तारीख की तक हुई नियुक्ति की लिस्ट राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्यालय को जमा करना होगा जिस हेतु फॉरमैट यहां से दी जाएगी !

वालंटियर की सदस्यता फॉर्म, एवं सर्टिफिकेट की फॉरमेट एवं अन्य डिटेल राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्यालय द्वारा दी जाएगी !कोई भी दूसरे फॉरमेट का उपयोग नहीं किया जाएगा !

कुल वालंटियर सदस्यता की 20 प्रतिशत फंड राष्ट्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी । शेष राशि 80 प्रतिशत जिला कार्यकारिणी अपने जिला में संस्था की गतिविधियों में खर्च कर सकेंगे । फंड का संचालन जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में जिला कोषाध्यक्ष करेंगे

नोट -

नोट : वालंटियर/ जनरल सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ संस्था के पदाधिकारियों के सहयोग हेतु की जा सकती है !

इन्हें लेटर हेड उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा!



जनरल युवा एवं महिला विंग के प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी का दायित्व है कि हर माह नियुक्त सदस्यों / वालंटियर की जानकारी राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त फॉरमेट पर महीने अंत के 5 दिन अंदर जमा करना अनिवार्य होगा ! यह मेल के द्वारा भेजी जाएगी जिसमे जिला अध्यक्ष /जिला महासचिव / जिला कोषाध्यक्ष(प्रभारी) का सिग्नेचर रहेगा ! मेल आईडी फॉरमैट में संलग्न रहेगी !

इनकी वेलिडिटी 1 वर्ष की होगी!

यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा!

इन समस्त बिन्दुओ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त है!

धन्यवाद

राष्ट्रीय प्रसाशिनिक कार्यालय

राष्ट्रीये मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (रजि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष /राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (समस्त) / राष्ट्रीय महासचिव (समस्त) राष्ट्रीय सचिव (समस्त) /राष्ट्रीय संयुक्त सचिव (समस्त) राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर (मैनेजमेंट) / प्रदेश अध्यक्ष (समस्त) /प्रदेश उपाध्यक्ष (समस्त) /प्रदेश महासचिव (समस्त) / प्रदेश सचिव (समस्त) / प्रदेश संयुक्त सचिव (समस्त) / जिला पदाधिकारी (समस्त)/ प्रखंड पदाधिकारी (समस्त) एवं सदस्य एनएचआरसीसीबी

राष्ट्रीय प्रेसाशनिक कार्यालय

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (रजि)